भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3329

16.12.2024 को उत्तर के लिए

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों संबंधी प्रस्ताव

3329. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्जः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के रूप में घोषित किए जाने के लिए 12 जिलों के 29 तालुकाओं में फैले 98 गांवों की सिफारिश करते हुए 02.11.2024 को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति प्रदान करें;

(ख) क्या प्रस्ताव में केएमएल फाइलें जैसे कोई डिजिटल मानचित्र या भू-स्थानिक डेटा शामिल हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित ईएमए क्षेत्रों के सीमांकन संबंधी स्पष्टता कैसे सुनिश्चित की जाएगी;

(ग) केरल से इस प्रस्ताव के संबंध में किसी भी अतिरिक्त पत्राचार, रिपोर्ट या स्पष्टीकरण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भू-स्थानिक डेटा सहित इन दस्तावेजों को सार्वजनिक परामर्श और प्रतिपुष्टि के लिए उपलब्ध कराने का है;

(ड.) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की जांच और प्रक्रमण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके अंतिम निर्णय की समय सीमा क्या है:

(च) क्या सरकार ने ईएसए अधिसूचना के प्रारूप को संशोधित करने के लिए वन संरक्षण में केरल की उपलब्धियों और इसके सहभागी प्रबंधन मॉडल पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ईएसए अधिसूचनाओं के द्वारा केरल जैसे सघन जनसंख्या वाले राज्यों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के साथ पारिस्थितिक संवेदनशीलता को संतुलित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र बनाए जाएंगे?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) पश्चिमी घाट क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इस मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कार्य समूह (एचएलडब्ल्यूजी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, छह राज्यों यथा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में 56,825.7 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में दिनांक 31.07.2024 के का.आ. 3060 (अ) के तहत जारी मसौदा अधिसूचना को पुनः प्रकाशित किया है।

मंत्रालय ने दिनांक 31.07.2024 की मसौदा अधिसूचना पर अंतिम जानकारी/सुझाव या आपत्तियाँ माँगी हैं। केरल राज्य सरकार ने अपने स्थानीय स्वशासी विभागों से प्राप्त सुझावों के सत्यापन के बाद 98 गाँवों के 8590.69 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया है।

(घ) से (छ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रालय ने पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील मूल रूप में बने रहे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पहलुओं तथा इस क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, आवश्यकताओं और विकासात्मक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी राज्य सरकारों के सुझावों की समग्र रूप से जांच करने के लिए एक समिति गठित की है। मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पहले समिति द्वारा केरल सहित अन्य सभी राज्य सरकारों की चिंताओं/सुझावों पर गुण-दोष के आधार पर विचार-विमर्श किया जाता है।

*****